

180/2020

सम्पत्ति - अवभार - प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र संख्या - Smt Wamila Devi W/o Late Sdhi Lal Anand आवेदन संख्या 192

चूंकि श्री Sarani ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण पत्र दिया जाय ।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही 1 में और इसके सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता 0 2009 से ता 0 14/10/2020 तक तलासी की गई और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :-

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेजों का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेजों की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	03 01/01 SARJAPUR ANDOLKIDY मकान 177		2009 11/8408	2009 102081021	2009 11 Katha		148 Deemul	
/								

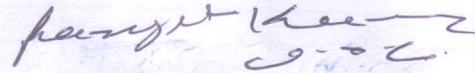
मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहार और अवधारों को छोड़, उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवधारों का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया :-

(हस्ताक्षर) :- 

(पदनाम) :- R.F.

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

(हस्ताक्षर) :- 

(पदनाम) :-

कार्यालय

तारीख

टिप्पणी :-



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
01.02.2020

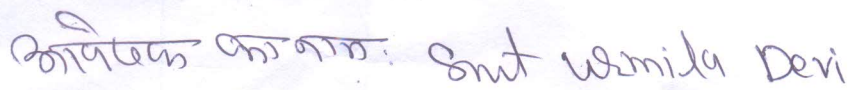
इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा प्रस्तुत संपत्ति का विवरण के अनुसार पाये हैं यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्ही संपत्तियों की दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहारा (ट्रान्जेक्शन) इस प्रमाण पत्र में शामिल नहीं किये जायेंगे।

निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियाँ और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो, अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा जिन्हे विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायेगी।

किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदन ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने उपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी, विभाग प्रमाण पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

और, चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा ढूँढ़े गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिखा गया है इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढ़े गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों का छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभार पड़ता हो।

ज्ञापांक - 280 / नि० राजपुर दिनांक 01.02.2020

प्रतिलिपि :-  Smt. Urmila Devi

आलाखुर्द
Alla Rubael Bank
Rajipur
Date 28/2/2020


निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
01.02.2020